| | |
|---|---|
| 1/10/2019 | वकील प्रार्थी उपस्थित।<br>वकील प्रार्थी हुकमसिंह ने No objection पेश करते पर प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्रवण सिंह सोलंकी ने वकालत नामा पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 9/10/2019 को पेश हो।<br>सहायक कलेक्टर<br>(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) |
| 9/10/19 | वकील प्रार्थी उपस्थित।<br>अन्य कार्य में व्यस्त होने से निर्णय नहीं लिखवाया जा सका अतः पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/10/2019 को पेश हो।<br>Rendey<br>सहायक कलेक्टर<br>(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) |
| 11/10/2019 | वकील प्रार्थी उपस्थित।<br>प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ सलग्न हो।<br>सहायक कलेक्टर<br>(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) |

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 49/2018
तारीख निर्णय– 11/10/2019

प्रार्थी :–

1. भवानी सिंह पुत्र अमरसिंह जाति – राजपूत निवासी – मेवीकलां तहसील – देसूरी जिला – पाली

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण–

1. सवाईसिंह पुत्र नारसिंह जी
2. डुंगरसिंह पुत्र नारसिंह जी
3. जबरसिंह पुत्र नारसिंह जी तमाम जातिगण – राजपूत निवासीगण – भाणका तहसील – देसूरी जिला – पाली

**–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए आर.टी.एक्ट, 1955**

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से– वकील श्रवण सिंह सोंलकी।
2–अप्रार्थीगण संख्या–1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक 11.10.2019

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गांव भाणका पटवार क्षेत्र मगरतलाब तहसील–देसूरी में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 257 रकबा 1.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सख्या 1 से 3 की सयुक्त खातेदारी की कब्जा एवं काश्त सुदा कुषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त सुदा 1/4 व तथा शेष अप्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त है। किन्तु कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया हुआ नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगाय 3 उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त करने पर आमादा है व विशेष भू–भाग की जमीन पर काश्त करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काश्त से वंचित रह जायेगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिससे अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक उनके खातेदारी के बंट से अधिक भूमि पर किसी प्रकार से काश्त में दखल करने, जमीन को खुर्द-बुर्द करने, विशेष भू भाग की जमीन पर काश्त करने से एवं प्रार्थी के बंट की आराजीयात मे प्रार्थी के कब्जा काश्त मे दखलन्दाजी करने से रोका जाने के लिए मूल वाद के निर्णय

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

तक मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

**प्रथम दृष्ट्या मामला** :– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा का दावा पेश किया है तथा प्रार्थी का 1/4 हिस्सा कब्जा काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार व सहखातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला में बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

**सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। अप्रार्थीगण विवादित आराजियात खसरा नम्बर 257 के रिकोर्डेड सहखातेदार रहे है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे खुद स्वीकार किया है कि मौका पर काश्त की सहुलियत से जमीन पर कब्जा काश्त चला आ रहा है अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इसस प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

**अपूरणीय क्षति** :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वाद मात्र बंटवाडा के है व सभी खातेदार का हिस्सा बराबर है। यदि विवादित आराजियात 257 के संबंध मे प्रार्थी के पक्ष मे एवम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति नही होगी। जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही की जा सके अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

आदेश आज दिनांक–11/10/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2019.11.13 15:16:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: